न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–233/17

1. रामगोपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र रामनाथ कुमावत, जाति कुमावत, आयु 74 वर्ष निवासी ग्राम आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र श्री विजयलाल कुमावत निवासी आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. सेडू पुत्र विजयलाल कुमावत निवासी आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. सत्रुधन पुत्र श्री विजयलाल कुमावत निवासी आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. शुभकरण पुत्र श्री रामेश्वर पौत्र श्री विजयलाल कुमावत निवासी आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. शंकर पुत्र श्री रामेश्वर पौत्र विजयलाल कुमावत निवासी आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक, आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 19.02.2013 (प्रकरण संख्या 23/2013) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम आकेडा चौड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 46/2 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50/1 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.37 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर व अन्य आराजीयात जो नया खाता संख्या 156 पुराना 151 में दर्ज राजस्व भू–अभिलेखों के अनुसार उक्त आराजीयात में अपीलार्थी के साथ अन्य सहखातेदारों को भी अपने हिस्से अनुसार भू–अभिलेखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी आमेर कैम्प रामपुरा डाबउी में दिनांक 19.02.2013 को एक प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उक्त खाता संख्या में सम्वत् 2066 से 2069 खाता संख्या 156 में बीज्या पुत्र भैरू के नाम राजस्व भू–अभिलेख दर्ज है, बीज्या पुत्र भैरू के स्थान पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विजयलाल पुत्र आनन्दीलाल दर्ज किया जाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र रामप्रकाश की गवाही लेते हुये जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अभिभाषक भी था, तथा कानूनी सलाहकार अधिवक्ता की सलाह लेते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि, विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल आपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में दुरूस्ती अवैध तरीके से की है क्योंकि धारा 136 मे केवल लिपिकीय त्रुटि तथा सहखातेदारों की आपसी सहमति से ही लिपिकीय त्रुटि की दुरूस्ती हो सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से कानून द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व भू–अभिलेखों मे अवैध दुरूस्ती की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि धारा 136 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गई केवल वो ही गलती सुधारी जा सकती है जो कि भू–प्रबन्धक अधिकारी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को भेजी जाती है, अन्य गलतिया किसी भी अवस्था में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही सुधारी जा सकती है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई जो कि पेशे से वकील भी है, को गवाह मुकर्रर कर प्रभावित होने वाले पक्षकारान को बिना साक्ष्य समर्थन का अवसर प्रदान किये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर विधि की सुस्पष्ट मंशा के विपरित अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता आमेज करते हुये सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये बाला–बाला कैम्प कोर्ट का तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान (जिसमें गरीब काश्तकारों को त्वरित न्याय प्रदान करने वास्त लगाया जाता है) का नाजायज फायदा उठाते हुये अवैध दुरूस्ती धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में करवायी है जबकि स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजीयात बाबत एक घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष वर्ष 1983 में बउनवानी विजयलाल बनाम रामनाथ प्रकरण संख्या 563/1983 प्रस्तुत किया गया जो राजस्व मण्डल द्वारा खारिज होने के पश्चात् अवैध रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ऐसा आदेश पारित करने बाबत अधिकार नही है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय यह फाईन्डिंग तकमील की है कि विधि सलाहकार श्री प्रभूसिंह एडवोकेट की राय ली गई, इन्होने दुरूस्ती करने की सहमति जाहिर की,

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा तहसीलदार आमेर की अभिशंषा के आधार पर अवैध दुरूस्ती विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरित जाकर की गई है जबकि वास्तविकता के अनुसार विधि सलाहकार उसी गांव का निवासी है तथा प्रार्थना पत्र मे गवाह भी स्वयं प्रार्थी का लडका है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जजमेन्ट की संज्ञा में प्रस्तुत दस्तावेजात के विरोधाभाषी होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 19.02.2013 बअदालत उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा प्रकरण संख्या 23/2013 बउनवानी भगवान सहाय बनाम राजस्थान सरकार को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी सहखातेदारी की भूमि वाके ग्राम आकेडा चौड, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थिति आराजी खसरा नम्बर 46/2 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50/1 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.37 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर जिसका नया खाता संख्या 156, पुराना खाता संख्या 151 है, में अपने स्वयं के पूर्वज अर्थात अपने पिता बीजा पुत्र भैरू के स्थान पर विजय लाल पुत्र आनन्दीलाल अंकित करवाया गया है चूँकि बीजा के पिता का नाम आना था जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन/गलती से बीजा के पिता का नाम भैरू अंकित कर दिया जबकि वास्तविक रूप में बीजा के पिता का नाम आना था जिसका शुद्धिकरण रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 19.02. 2013 को सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम प्रशासन गांव के संग अभियान/न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम जो विशेषकर इस प्रकार की राजस्व लिपिकीय त्रुटियों को गांव के सभी लोगो के समक्ष दुरूस्त किया जाता है ताकि पीडित को त्वरित न्याय मिल सके जिसमें करवाया गया तथा बींजा व विजयलाल एक ही व्यक्ति होने के कारण तथा बीजा उर्फ विजयलाल के पिता आना उर्फ आनन्दीलाल होने के कारण तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा इस सम्बन्ध में दस्तावेज प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 01.03.1985 को जारी किया जिसमें बाद जांच ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में एक प्रमाण पत्र इस आशय का जारी किया कि विजयलाल ग्राम आकेडा चौड, तहसील आमेर जिला जयपुर के पिता का नाम आनन्दी लाल है, बन्दोबस्त के समय सहवनवंश अभिलेख मे बीजा पुत्र भैरू अंकित हो गया जबकि बीजालाल पुत्र आनन्दी लाल होना चाहिये तथा प्रशासन एवं ग्राम पंचायत रामपुरा पंचायत समिति आमेर जयपुर भी दिनांक 02.03.1993 को एक प्रमाण पत्र बीजा की वल्दीयत के बारे में बाद जांच करके प्रमाण पत्र क्रमांक 66/92–93 इस आशय का जारी किया गया कि विजय लाल पुत्र आनन्दीलाल को बीजा पुत्र आना भी कहते है तथा विजय पुत्र आनन्दी लाल व बीजा पुत्र आना एक ही आदमी है इनको दो नामों से जाना जाता है तथा बीजा पुत्र आना की स्वयं की अन्य खातेदारी की भूमियो और भी ग्राम आकेडा चौड़ तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें बीजा की

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

वल्दीयत आना चला आ रहा है जो पर्चा लगान से स्पष्ट है तथा रेस्पोडेन्ट के पूर्व बीजा के खातेदारी की भूमि जिसका नामान्तरकण संख्या 28 जिसमे रेस्पोडेन्ट के पूर्वज की वल्दीयात आना राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित चला आ रहा है जिसको रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.05.1990 को दुरूस्ती करवाया जाकर बीजा के स्थान पर विजय लाल व आना के स्थान पर आनन्दीलाल करवा लिया गया है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से 2032 में बीजा पुत्र आना रेस्पोडेन्ट के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा इस बाबत सम्पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2013 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा का राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्धिकरण कर बीजा पुत्र भैरू के स्थान पर विजयलाल पुत्र आनन्दीलाल किया गया तथा रेस्पोडेन्ट की अन्य खाते में और भी भूमिया है जिसमें पहले से ही बीजा पुत्र आना राजस्व रिकार्ड मे अंकित चला आ रहा है जिसको भी रेस्पोडेन्ट बीजा पुत्र आना के स्थान पर विजयलाल पुत्र आनन्दी लाल करवाया जिसके बारे मे अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति नही की गई जबकि अपीलार्थी के द्वारा भैरू के चार पुत्र भूरा रामनाथ प्रभात व छोटू थे बताये है जिनमें अपीलार्थी रामनाथ का पुत्र है जो जागा वंशावली से स्पष्ट है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी का रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी की भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट को बेजा हैरान व परेशान करने गरज से उक्त उनवानी अपील मय प्रार्थना पत्र इजाजत हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है जबकि धारा 96 सी.पी. सी का प्रार्थना पत्र पक्षकार द्वारा तब प्रस्तुत किया जाता है जब कोई पक्षकार व्यथित हो जब उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के हितो पर कोई असर नही पडता तो उन्हे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी खारिज फरमाया जावे तथा अपीलान्ट की अपील मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हक, अधिकार की आराजी में गलत इन्द्राज अपने पिता/दादा के नाम को शुद्ध कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर बाद जॉच अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2013 पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट के किसी भी प्रकार के कोई हक, हकूक, अधिकार प्रभावित नही होना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.13 से प्रभावित पीडित पक्षकार नही होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. खारिज योग्य प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है तथा अपीलान्ट प्रकरण में प्रभावित पीडित पक्षकार नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2013 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।